''खेलो इण्डिया''

खेलों के विकास के लिए
राष्ट्रीय कार्यक्रम

खेलो इण्डिया : खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

- वर्ष 2015–16 तक भारत सरकार खेल विभाग की तीन योजनाएँ थी,
  - राजीव गॉधी खेल अभियान
  - शहरी खेल अधोसंरचना योजना
  - राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज

- वर्ष 2016–17 मे उक्त तीनों योजनाओं को एकीकृत कर ''केन्द्र क्षेत्रीय योजना'' प्रारंभ की गई है जिसका नाम दिया गया है :–
  खेलो इण्डिया : खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
  "Khelo India :- National Programme For Development Of Sports "

- इस नवीन योजना के तीन भाग होंगे
  - प्रतियोगिता
  - प्रतिभा खोज
  - खेल अधोसंरचना

- इस मार्गदर्शिका में प्रतियोगिता एवं खेल प्रतिभा खोज के संबंध में विवरण दिया गया है :–

- <u>वार्षिक खेल प्रतियोगिताएँ :–</u>

- राजीव गॉधी खेल अभियान के अंतर्गत राज्य मे निम्नांकित खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित होती थी
  - ग्रामीण खेल प्रतियोगिता (विकासखण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर)
  - महिला खेल प्रतियोगिता (विकासखण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर)

- ☐ उपरोक्त दोनो प्रतियोगिताएँ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 मे अब आयोजित नहीं की जाएँगी।
- ☐ उपरोक्त प्रतियोगिताओं के स्थान पर अब सिर्फ ''खेलो इण्डिया प्रतियोगिता'' का आयोजन होगा।
- ☐ खेलो इण्डिया : खेल प्रतियोगिता, तीन आयु समूह में आयोजित होगी :–
  - ☐ सब जूनियर वर्ग
  - ☐ जूनियर वर्ग
  - ☐ सीनियर वर्ग
- ☐ जिस खेल की प्रतियोगितसा आयोजित कराई जाएगी उस खेल के राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा सब जूनियर, जूनियर, सीनियर वर्ग के लिए जो आयु निर्धारित की है वही आयु इस प्रतियोगिता के लिए भी मान्य होगी। इस प्रकार अलग–अलग खेल के लिए सब जूनियर, जूनियर, सीनियर वर्ग की आयु सीमा अलग–अलग हो सकती है।
- ☐ **भारत सरकार से आर्थिक सहायता :–**

आयोजन स्तर	आर्थिक सहायता राशि	अधिकतम सीमा
ब्लाक स्तर	1) आवास एवं भोजन व्यय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन @ रू. 75, 02 दिवसों के लिए (वास्तविक व्यय)	पॉच खेलों के आयोजन तक के लिए ही आर्थिक सहायता मिलेगी। यदि
	2) रू. 500 प्रति खेल विधा (प्रति आयु वर्ग) आयोजन व्यय के लिए :– इसमे प्रतिभागियों के यात्रा व्यय का भुगतान भी सम्मिलित है।	तीन से कम खेल आयोजित किए जाते हैं तो यह आर्थिक सहायता नहीं होगी।
जिला स्तर	1) आवास एवं भोजन व्यय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन @ रू. 100, 02 दिवसों के लिए (वास्तविक व्यय) 2) रू. 10,000 प्रति खेल विधा (प्रति आयु वर्ग) आयोजन व्यय के लिए :– इसमे प्रतिभागियों के यात्रा व्यय का भुगतान भी सम्मिलित है।	अधिकतम 10 खेलों के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता देय होगी लेकिन पॉच खेल से कम होने पर आर्थिक सहायता देय नहीं होगी।

राज्य स्तर	1) आवास एवं भोजन व्यय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन @ रू. 150, 03 दिवसों के लिए (वास्तविक व्यय) 2) रू. 30,000 प्रति खेल विधा (प्रति आयु वर्ग) आयोजन व्यय के लिए। 3) प्रतिभागियों का वास्तविक यात्रा व्यय (जो द्वितीय श्रेणी रेल किराया या सामान्य बस किराया है) की प्रतिपूर्ति	अधिकतम 10 खेलों के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता देय होगी लेकिन पॉच खेल से कम होने पर आर्थिक सहायता देय नहीं होगी।

☐ नोट :– (1) विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शील्ड, मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट आदि का व्यय भी आयोजन हेतु प्रदाय किये गये आर्थिक सहायता से विकलनीय होगा।

☐ (2) विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन में उपरोक्त आर्थिक सहायता से यदि अधिक व्यय होता है तो

इसे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कराके या स्वयं के श्रोत से वहन किया जायेगा।

☐ <u>पुरस्कार राशि :–</u>

☐ व्यक्तिगत खेलो के पदक विजेता खिलाड़ी एवं दलीय खेलों के पदक विजेता दल के सभी खिलाडियों को निम्नानुसार पुरस्कार राशि दी जायेगी :–

प्रतियोगिता का स्तर	पुरस्कार की राशि		
	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
विकासखण्ड स्तर	250/–	150/–	100/–
जिला स्तर	350/–	250/–	150/–
राज्य स्तर	500/–	300/–	200/–
राष्ट्रीय स्तर	2500/–	1500/–	1000/–

☐ उपरोक्त पुरस्कार राशि पदक विजेताओं के बैंक एकांउट में भारत सरकार के **"Direct Benefit Transfer (DBT) Programme"** के तहत सीधे स्थानांतरित की जायेगी।

☐ <u>यात्रा व्यय :–</u>

☐ विकासखण्ड एवं जिला स्तर के आयोजनों मे भाग लेने हेतु प्रतिभागियों के यात्रा व्यय हेतु पृथक से कोई राशि प्रदान नहीं होगी। आयोजन के लिए प्रदाय की गई राशि में ही यात्रा व्यय की राशि सम्मिलित है।

☐ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए अधिकतम द्वितीय श्रेणी का रेल किराया या साधारण बस किराया की प्रतिपूर्ति खिलाड़ियों को की जायेगी।

☐ <u>सम्मिलित खेल विधाएँ :–</u>

☐ खेलों इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत 21 खेल विधाओं को चिहिन्त किया गया हैं :–

• Athletics	• Gymnastics	• Swimming	• Badminton	• Table Tennis
• Archery	• Wushu	• Taekwondo	• Weightlifting	• Cyeling
• Boxing	• Judo	• Wrestling	• Kabaddi	• Kho-Kho
• Hockey	• Football	• Vollcyball	• Basketball	• Handball
• Tennis				

☐ उपरोक्त 21 खेल विधाओ मे से राज्य को 10 खेल विधाएँ चिन्हित करनी है, इन चिन्हित विधाओं के लिए भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। आर्थिक सहायता के लिए यह शर्त है कि, इन विधाओ में विकाखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताए आयोजित किया जाना होगा एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे भागीदारी करनी होगी।

☐ विधाओं का चयन करते समय व्यक्तिगत खेल एवं दलीय खेल का अनुपात 60:40 सभी स्तरो पर रखना होगा।

- राज्य उपरोक्त चिन्हित 10 खेल विधाओं के अतिरिक्त अन्य खेल विधाओं का आयोजन अपने स्वयं के व्यय पर कर सकता है। इन अतिरिक्त विधाओं के लिए भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इन विधाओं के राष्ट्रीय आयोजन मे राज्य के खिलाडी भाग ले सकेंगे।
- इन अतिरिक्त विधाओं के लिए विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय आयोजन की अनिवार्यतः से भी छूट प्रदान की गई है। इन विधाओं का सीधे राज्य स्तरीय आयोजन करके राष्ट्रीय आयोजन में भाग लिया जा सकेगा।

- <u>प्रतिभागियों के लिए पात्रता के मापदण्ड :–</u>

- प्रतिभागी को प्रतियोगिता वर्ष के 31 दिसम्बर की तिथि में उस आयु का होना चाहिए जो आयु उसके खेल के सबजूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग के लिए निर्धारित की गई है।
- किसी गॉव का निवासी जो अपने गॉव में नहीं रह रहा है, लेकिन अपने गॉव से संबंधित ब्लॉक, जिला या राज्य में रह रहा है, वह अपने गॉव का प्रतिनिधित्व कर सकेगा।
- इसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों प्रकार के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे।

- <u>उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओ में खिलाड़ियों के चयन की पद्वति :–</u>
- व्यक्तिगत खेल विधाओ में उस खिलाडी का चयन किया जायेगा जिसने विकासखण्ड या आगे की प्रतियोगिता में प्रावीण्य क्रय में सबसे उपर स्थान प्राप्त किया है।
- दलीय खेलों मे चयन के लिए विकासखण्ड, जिला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मे चयन हेतु चयन समिति गठित की जायेगी।
- विकासखण्ड स्तर के पश्चात् किसी भी स्तर पर खिलाडी या दलों का सीधे प्रवेश दिया जाना प्रतिबंधित है।

☐ प्रतियोगिता के नियम :–

☐ प्रतियोगिता के लिए उन्ही नियमों का पालन किया जायेगा जो नियम संबंधित खेल के फेडरेशन द्वारा जारी किये गये है। यदि किसी समय "खेलों इण्डिया" के प्रावधान एवं राष्ट्रीय फेडरेशन के नियम में कोई विसंगति प्रतीत हो तो राष्ट्रीय फेडरेशन के नियमों को अधिमान्ता प्रदान की जायेगी।

☐ प्रमाण–पत्रों का वितरण :–

☐ विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए सिर्फ प्रावीण्य प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे।

☐ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं के लिए सहभागिता प्रमाण–पत्र एवं प्रावीण्य प्रमाण–पत्र दोनों जारी किये जायेंगे।

☐ प्रमाण पत्रों का प्रारूप भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हैं, उसी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किये जाये।

☐ प्रत्येक स्तर आयोजनों में दलों की भागीदारी की संख्या :–

☐ विकासखण्ड स्तर पर इस संबंध में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई हैं।

☐ जिला एवं राज्य स्तर पर 08 दलों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया भी भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में निर्धारित की गई है।

☐ विकासखण्ड, जिला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन का उत्तरदायित्व :–

☐ विकासखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन का उत्तरदायित्व उस एजेंसी पर होगा जिसका निर्धारण **"State Level Executive Committee (SLEC)"** द्वारा किया गया है।

- योजना के अंतर्गत **"State Level Executive Committee (SLEC)"** के गठन का प्रावधान किया गया है जिसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष सचिव, खेल एवं युवा कल्याण तथा सदस्य सचिव, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, योजना में लेख किये गये है। यह समिति योजना के अंतर्गत राज्य की कार्य योजना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए सशक्त प्रदान की गई हैं।

- <u>आर्थिक सहायता के लिए आवेदन :–</u>

- आर्थिक सहायता के आवेदन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र तैयार किया गया है। उक्त निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष 15 मई तक आर्थिक सहायता के आवेदन चाहें गये है।
- आर्थिक सहायता के आवेदन **"State Level Executive Committee (SLEC)"** के अनुमोदन उपरान्त प्रेषित किया जाना है।
- ऐसे राज्य जिनके द्वारा पूर्ववर्ती योजना **"PYKKA/ RGKA /USIA** के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता का व्यय समायोजन हो चुका है, उन्हें आर्थिक सहायता की राशि अग्रिम रूप से प्रदाय की जायेगी।
- ऐसे राज्य जो किन्ही कारण वश अग्रिम आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके है। वे अपने श्रोत से आयोजन कर व्यय की प्रतिपूर्ती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे।